

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण. देहरादून ।
(अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य को ध्वस्तीकरण करने हेतु आदेश)

त्रांक : 3008 /वाद सं० सी-1175/एस-6/2022

दिनांक: 14-8-2023

श्री पकंज विजल्वाण,
सहस्त्रधारा रोड़ पार्किंग पुल पार,
नदी तट पर देहरादून।

विपक्षी श्री पकंज विजल्वाण, सहस्त्रधारा रोड़ पार्किंग पुल पार नदी तट पर देहरादून, द्वारा उपरोक्त पते/स्थल पर लगभग 15-20 बीघा भूमि पर मार्ग विकास का कार्य किया जा रहा है। स्थल का कोई स्वीकृत ले-आऊट नहीं दिखाया। निर्माण कार्य किये जाने के कारण उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कारण बताओं तथा कार्य रोके जाने की कार्यवाही करते हुये प्राधिकरण में वाद सं० सी-1175/एस-6/2022 योजित किया गया। उपरोक्त वाद में दिनांक 03.10.2022 को उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत 27 व 28 (1) के नोटिस प्रेषित किया गया।

उक्त नोटिस के द्वारा आपको अवगत कराया गया, कि आप द्वारा अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य किया जा रहा है तथा आपको अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 10.10.2022 नियत की गई थी, विपक्षी नियत तिथि को उपस्थित रहे। उक्त के उपरान्त विभिन्न तिथियां नियत की गयी। उपरोक्त तिथियों को आप उपस्थित /अनुपस्थित रहे। विपक्षी द्वारा आतिथि तक अपने निर्माण के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये।

पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि उत्तराखण्ड प्रदेश (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन है। प्रकरण में ध्वस्तीकरण किये जाने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प शेष नहीं रह जाता है।

अतः उक्त परिस्थितियों में प्रकरण में विपक्षी के अवैध निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत है।

आदेश

विपक्षी श्री पकंज विजल्वाण, सहस्त्रधारा रोड़ पार्किंग पुल पार नदी तट पर देहरादून, द्वारा उपरोक्त पते/स्थल पर लगभग 15-20 बीघा भूमि पर मार्ग विकास का कार्य किया जा रहा है। निर्माण कार्य किये जाने के कारण उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन किया गया है। प्रकरण में ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये जाते हैं। उक्त चालानशुदा अनाधिकृत प्लॉटिंग को प्राधिकरण द्वारा स्थल पर दिनांक 17-8-23 को ध्वस्त किया जाना है। जिस पर आने वाला समस्त व्यय विपक्षी से भू-राजस्व की भांति वसूल किया जायेगा।

चलान

संयुक्त सचिव

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

मसूरी